संख्या-1200 /एक-10-2024-33(36)/2023

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज, सोनभद्र, बांदा, बदायूं, कुशीनगर, चन्दौली, हमीरपुर, बलिया, मऊ, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, सीतापुर एवं मैनपुरी ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 19 जुलाई, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में डूबकर होने वाली मृत्यु से प्रभावित होने वाले वयक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के समबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं0-387/एक-11-2021-4(जी)/2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से प्रभावित होने वाले वयक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रू0 817.00 लाख (रू0 आठ करोड़ सत्रह लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0	जनपद का नाम	मद-09	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4
1	प्रयागराज (वित्तीय वर्ष 2024-25)	डूबकर होने वाली मृत्यु	1,00,00,000.00
2	सोनभद्र (वित्तीय वर्ष 2024-25)	डूबकर होने वाली मृत्यु	1,00,00,000.00
3	बांदा (वित्तीय वर्ष 2024-25)	डूबकर होने वाली मृत्यु	1,00,00,000.00
4	बदायूं (वित्तीय वर्ष 2024-25)	डूबकर होने वाली मृत्यु	50,00,000.00
5	कुशीनगर (वित्तीय वर्ष 2024-25)	डूबकर होने वाली मृत्यु	40,00,000.00
6	चंदौली (वित्तीय वर्ष 2024-25)	डूबकर होने वाली मृत्यु	30,00,000.00
7	हमीरपुर (वित्तीय वर्ष 2024-25)	डूबकर होने वाली मृत्यु	32,00,000.00
8	बलिया (वित्तीय वर्ष 2024-25)	डूबकर होने वाली मृत्यु	80,00,000.00
9	मऊ (वित्तीय वर्ष 2024-25)	डूबकर होने वाली मृत्यु	80,00,000.00
10	फर्रुखाबाद (वित्तीय वर्ष 2024-25)	डूबकर होने वाली मृत्यु	50,00,000.00
11	प्रतापगढ़ (वित्तीय वर्ष 2024-25)	डूबकर होने वाली मृत्यु	10,00,000.00

12	सुल्तानपुर (वित्तीय वर्ष 2024-25)	डूबकर होने वाली मृत्यु	40,00,000.00
13	सीतापुर (वित्तीय वर्ष 2024-25)	डूबकर होने वाली मृत्यु	80,00,000.00
14	मैनपुरी (वित्तीय वर्ष 2024-25)	डूबकर होने वाली मृत्यु	25,00,000.00
		योग	8,17,00,000.00

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1दिनांक 11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन

को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 817.00 लाख (रू0 आठ करोड़ सत्रह लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-वययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या- 1200 (1)/एक-10-2024, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
Signed by
Shailendra Mani Tripathi
Date: 19-07-2024 18:09:36
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-23/07/2024

प्रेषण संख्या:- 1200
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1200
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मैनपुरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 17000000	2500000 17000000
2	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 16000000	5000000 16000000
3	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 22500000	5000000 22500000
4	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 19500000	10000000 19500000
5	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3200000 13200000	3200000 13200000
6	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 23900000	10000000 23900000
7	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8000000 15000000	8000000 15000000
8	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8000000 20000000	8000000 20000000
9	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 14000000	4000000 14000000
10	प्रतापगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 12500000	1000000 12500000
11	मऊ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8000000 8000000	8000000 8000000
12	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 43600000	10000000 43600000
13	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 25564832	4000000 25564832
14	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 9600000	3000000 9600000
	योग	वर्तमान प्रगामी	81700000 260364832	81700000 260364832

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया आठ करोड़ सत्रह लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छब्बीस करोड़ तीन लाख चौसठ हजार आठ सौ बत्तीस

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।